एएफआर

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रं० (एस) संख्या **589/2016**

- प्रभाकरनाथ साहू आ० देवलोचन राम साहू,
  उम्र लगभग 50 वर्ष, निवासी बड़कापारा, सूरजपुर,
  थाना सूरजपुर, सिविल व राजस्व जिला सूरजपुर छ०ग०।

---याचिकाकर्ता

बनाम

01. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा सचिव गृह विभाग मंत्रालय,
    महानदी भवन, रायपुर छ०ग०
02. इंस्पेक्टर जनरल, सरगुजा रेंज, जिला सरगुजा छ०ग०
03. पुलिस अधीक्षक जिला कोरिया छ०ग० ।

----उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री शक्तिराज सिन्हा, अधिवक्ता

उत्तरवादीगण/राज्य के लिए : श्री रवि कुमार भगत, डिप्टी जी०ए०

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल

निर्णय ऑन बोर्ड

(23.07.2021)

1. इस मामले की कार्यवाही विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से की गयी ।

2. याचिकाकर्ता ने दिनांक 28.12.2015 के आदेश (अनुलग्नक पी2) पर प्रश्न उठाया है जिसके तहत अपीलीय प्राधिकारी अर्थात पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, सरगुजा ने याचिकाकर्ता की अपील को आंशिक रुप से स्वीकार किया और आंशिक रुप से खारिज कर दिया तथा सेवा से बरखास्तगी के

आदेश को अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश में परिवर्तित कर दिया ।

3. याचिकाकर्ता गृह विभाग में प्रधान आरक्षक था। उसके विरुद्ध 11.03.2015 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि उसने अपनी पहली पत्नी (कानूनी रुप से विवाहित) के जीवनकाल के दौरान श्रीमती कमलावती को अपनी पत्नी के रुप में रखा । श्रीमती बंदी देवी को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नियुक्त किया गया जो कि छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 (जिसे आगे "नियम 1965" कहा जायेगा) के नियम 22 (1) का उल्लंघन है । विभागीय जांच के बाद प्रतिवादी क्रं० 03 ने दिनांक 21.11.2015 के आदेश (अनुलग्नक पी1) द्वारा आरोप सिद्ध पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी पहली पत्नी (कानूनी रुप से विवाहित) श्रीमती बंदी देवी के जीवनकाल के दौरान, उन्हें तलाक दिये बिना श्रीमती कमलावती को अपनी पत्नी के रुप में रखा और इस प्रकार उन्होंने 1965 के नियम 22 (1) में निहीत प्रावधान का उल्लंघन किया और यह 1965 के नियम 22 ए अर्थ में कदाचार के अंतर्गत आता है और उसे सेवा से निष्कासित करने का दंड दिया जाता है । याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी अर्थात पुलिस महानिरीक्षक के समक्ष सेवा से बरखास्तगी के आदेश पर सवाल उठाया । अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 28.12.2015 के आदेश (अनुलग्नक पी2) द्वारा 1965 के नियम 22 (1) के आरोप को आंशिक रुप से सिद्ध पाया लेकिन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मानवीय दृष्टिकोंण और दो परिवारों को पालने की उसकी जिम्मेदारी को देखते हुये सेवा से बरखास्तगी की सजा को अनिवार्य सेवा निवृत्ति में बदल दिया जिसे याचिकाकर्ता ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर इस रिट याचिका में चुनौती दी है ।

4. उत्तरवादीगण द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को उचित ठहराते हुये जवाब पेश किया जिसे अपीलीय प्राधिकारी द्वारा संशोधित किया गया ।

5. याचिकाकर्ता के विद्यवान अधिवक्ता श्री शक्तिराज सिन्हा ने निवेदन किया कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित कर यद्यपि सेवा से बरखास्तगी की बड़ी सजा को अनिवार्य सेवा निवृत्ति की दूसरी बड़ी सजा में परिवर्तित कर दिया । परंतु इस न्यायालय द्वारा उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि याचिकाकर्ता पर यह आरोप पत्र नहीं लगाया गया है कि उसने अपनी विवाहिता पत्नी श्रीमती बंदी देवी के जीवनकाल में राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना दूसरी शादी कर ली और जब तक श्रीमती कलावती के साथ (दूसरी) शादी का आरोप साबित नहीं हो जाता, याचिकाकर्ता को दंडित नहीं किया जा सकता कि उसने श्रीमती कलावती के साथ दूसरी शादी कर ली जो कि 1965 के नियम 22 (1) का उल्लंघन है । इस प्रकार अपीलीय प्राधिकारी द्वारा संशोधित अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश रद्द किये जाने योग्य है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता की ओर से **म०प्र० उच्च न्यायालय के निर्णय नत्थूलाल कोरी बनाम म०प्र० राज्य एवं अन्य** [1] पर रिलाय किया ।

6. उक्त के विपरीत राज्य की ओर से अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता श्री रवि कुमार भगत ने निवेदन किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता द्वारा अपनी पहली पत्नी श्रीमती बंदी देवी के जीवनकाल में दूसरी शादी करने का आरोप स्पष्ट रुप से तैयार नहीं किया गया है, फिर भी उसने श्रीमती कलावती को अपनी पत्नी के रुप में रखा है । ऐसे में 1965 के नियम 22-(1) कठोरता से लागू होगा और इसलिये सेवा से बरखास्तगी के आदेश को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनिवार्य सेवा निवृत्ति में संशोधित किया जो कानून के अनुसार है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. उभयपक्ष के विद्यवान अधिवक्तागण को सुना गया और उनके द्वारा उपर दिये गये प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार करते हुये अभिलेखों का अवलोकन किया गया ।

8. 1965 के नियम 3 (1) में निम्नानुसार प्रावधान है–

> "**3. सामान्य–** (1) प्रत्येक सरकारी कर्मचारी हर समय–
> (I) पूर्ण निष्ठा बनाये रखे,
> (II) कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाये रखे, और

---

1 2010 (3) MPLJ 424

(III) ऐसा कुछ भी न करे जो सरकारी कर्मचारी के लिये अनुचित हो । ”

1965 के नियम 3 (1) में स्पष्ट रुप से प्रावधान है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को हर समय पूर्ण निष्ठा बनायी रखनी चाहिये, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाये रखने चाहिये तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जो सरकारी कर्मचारी के लिये अनुचित हो ।

9. 1965 के नियम 22(1) द्विविवाह पर रोक लगायी गयी है जिसमें निम्नलिखित प्रावधान है–

”**22. द्विविवाह–**(1) कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसकी पत्नी जीवित है सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह नहीं करेगा, चाहे ऐसा पश्चात्यवर्ती विवाह उस पर उस समय लागू वैयक्तिक कानून के अंतर्गत अनुमेय हो” ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. 1965 के नियम 22 (1) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर प्रकट होता है कि सरकारी कर्मचारी को अपनी पहली पत्नी के जीवनकाल में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना दूसरी शादी करने पर रोक लगायी गयी है, भले ही उसपर उस समय पर्सनल लॉ लागू हो ।

11. नियम 22 (1) एवं अन्य नियमों के उल्लंघन के परिणाम 1965 के नियम 22 ए में दिये गये हैं, जो निम्नानुसार हैं–

’**22–ए– कदाचार की सामान्य अवधारणा–** कदाचार की अवधारणा की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,

> इन नियमों में अधिनियमित नियमों या प्रतिषेध के उल्लंघन में कोई कार्य या चूक म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत दंडनीय कदाचार मानी जावेगी ।"

1965 के नियम 22 ए में स्पष्ट रुप से प्रावधान है कि इन नियमों में अधिनियमित निषेध या निर्देशों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कार्य या चूक म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना जावेगा और उक्त निम्नानुसार सरकारी कर्मचारी द्वारा अपनी पहली पत्नी के जीवनकाल में दूसरा विवाह करना 1965 के नियम 3 के अंतर्गत कदाचार माना जावेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. खुर्शीद अहमद खान बनाम उ०प्र०राज्य एवं अन्य[2] के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पहली शादी के रहते हुये सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी करना नियमानुसार निषिद्ध है ।

13. इस स्तर पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोपपत्र का अवलोकन किया गया जिसका उल्लेख अनुलग्न पी01 के पैरा 1 में किया गया है जो निम्नानुसार है–

– आरोप–

> (1) प्रधान आरक्षक 210 प्रभाकर नाथ साहू द्वारा अपनी वैवाहिक पत्नी श्रीमती बंदी देवी के जीवित रहते वैधानिक रुप से विवाह विच्छेद हुये बिना एवं शासन की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कलावती नामक महिला को पत्नी बनाकर सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22(1) का उल्लंघन कर, स्वयं को शासकीय सेवा के अयोग्य साबित करना ।

2 (2015) 8 SCC 439

14. उपरोक्त आरोप पत्र के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता पर यह आरोप है कि उसने अपनी कानूनी रुप से विवाहित पत्नी श्रीमती बंदी देवी के जीवनकाल में श्रीमती कलावती नामक एक महिला को अपनी पत्नी के रुप में रखा जो 1965 के नियम 22 (1) का उल्लंघन है । याचिकाकर्ता के खिलाफ ऐसा कोई आरोप नहीं था कि उसने अपनी पहली पत्नी (कानूनी रुप से विवाहित) श्रीमती बंदी देवी के जीवनकाल के दौरान राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना शादी (दूसरी शादी) की, इस तरह, याचिकाकर्ता पर यह आरोप नहीं लगाया गया है कि उसने अपनी पहली पत्नी अर्थात श्रीमती बंदी देवी के जीवनकाल के दौरान राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना दूसरी शादी /एक और शादी की, जो कि 1965 के नियम 22(1) अंतर्गत आयेगा ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इतना ही नहीं, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपने आदेश के अंत्तिम पैराग्राफ में जांच के बाद केवल यह पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी पहली पत्नी श्रीमती बंदी देवी के जीवनकाल में श्रीमती कलावती को अपनी पत्नी के रुप में रखा और वह अपनी पहली पत्नी तथा बेटे को भरण पोषण का भुगतान कर रहा है। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने अपने आदेश के अंतिम पैराग्राफ में याचिकाकर्ता को दंडित करते हुये दिनांक 22.11.2015 को निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किये–

> "अपचारी प्रधान आरक्षक 210 प्रभाकर नाथ साहू द्वारा प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाया जाता है, प्रधान आरक्षक द्वारा अभ्यावेदन में उठाये गये तर्क आरोपित आरोप को न तो

अप्रमाणित करते हैं और न ही उनकी गंभीरता को कम करते हैं, जो महज बचाव स्वरुप है । अपचारी ने अपनी वैवाहिक पत्नी बंदी देवी से विवाह विच्छेद होने के संबंध में कोई विधिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया एवं न ही अपने पक्ष समर्थन में कोई ठोस तर्क प्रस्तुत किया है जिसके आधार पर विभागीय जांचकर्ता अधिकारी द्वारा पाये गये प्रमाणित आरोप को अप्रमाणित किया जा सके । इस प्रकार अपचारी प्रधान आरक्षक क्रं० 210 प्रभाकर नाथ साहू, रक्षित केंद्र बैंकुंठपुर द्वारा अपनी पहली वैवाहिक पत्नी श्रीमती बंदी देवी के जीवित रहते वैधानिक रुप से विवाह विच्छेद हुये बिना कलावती नामक महिला को पत्नी बनाकर रखा गया है। अतः अपचारी प्रधान आरक्षक द्वारा म०प्र०/छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 22(1) में वर्णित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये कठोरतम दंड से दंडित किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रमाणित आरोप के गंभीरता के आधार पर आरोपी प्रधान आरक्षक क्रं० 210 प्रभाकर नाथ साहू, रक्षित केंद्र बैकुंठपुर को शासकीय सेवा के अयोग्य पाते हुये आदेश दिनांक के उपराहं से "सेवा से पृथक "किया जाता है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
बी०एस० ध्रुव
पुलिस अधीक्षक,
कोरिया"

16. उपरोक्त आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने पर अपीलीय प्राधिकारी ने भी अनुशासनात्मक आदेश के निष्कर्ष की पुष्टि की है । परंतु सजा को संशोधित कर सेवा से बरखास्तगी के स्थान पर अनिवार्य सेवा निवृत्ति का आदेश दिया जाना बताया है। अनुशासानात्मक प्राधिकारी ने कार्यवाही इस आधार पर की है कि एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा एक जीवित पत्नी के रहते हुये दूसरी महिला को पत्नी के रुप में रखना 1965 के नियम 22 (1) के तहत द्विविवाह माना जावेगा जो कि 1965 के नियम 22 (1) की सही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

व्याख्या नहीं है । 1965 के नियम 22 (1) में स्पष्ट रुप से उस सरकारी कर्मचारी को, जिसकी पत्नी जीवित है, सरकार की अनुमति प्राप्त किये बिना दूसरी शादी करने का आदेश और निषेध किया गया है । परंतु इस मामले में याचिकाकर्ता के विरुद्ध ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया कि उसने पहली पत्नी के रहते हुये राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किये बिना दूसरा विवाह कर लिया हो।

17. 1965 के नियम 22 (1) के तहत याचिकाकर्ता को कदाचार का दोषी ठहराने के लिये याचिकाकर्ता को न केवल अपनी पहली पत्नी के जीवनकाल में दूसरी शादी करने के लिये आरोप पत्र किया जाना चाहिये, बल्कि दूसरी शादी को ठोस रुप से साबित किया जाना चाहिये । **(राजेश बोयरा बनाम म०प्र० राज्य [3] देंखे)** । इसलिये अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किये गये आरोप और अपीलीय अधिकारी द्वारा की गयी पुष्टि, नियम 22(1) के विपरीत है । इसलिये जाहिर है, यह 1965 के नियम 22(1) के अर्थ में कदाचार नहीं है ।

18. तदानुसार उत्तरवादी क्रं० 03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2015 (अनुलग्नक पी 01) और उत्तरवादी क्रं० 02 द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.12.2015 (अनुलग्नक पी2) को अपास्त किया जाता है । उत्तरवादीगण–प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता की सभी सेवा लाभों के साथ तत्काल बहाल करने

3 2014 CriLJ 4949

का निर्देश दिया जाता है । हालांकि, निलंबन/बर्खास्तगी की तारीख से बहाली की तारीख तक पूर्ण वेतन और भत्ते के संबंध में मामला सक्षम प्राधिकारी को मौलिक नियमों के नियम 54 (2) के अनुसार उसके पूर्ण वेतन और भत्ते पर निर्णय लेने के लिये इस आदेश की प्रति प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों का समय दिया जाता है ।

19. रिट याचिका को उक्त सीमा तक स्वीकार किया जाता है । लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं ।

सही/-
(संजय के अग्रवाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**